

फद अहकाम

बनाम

आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
<p>5-3-18 प्रतिवादी पेश हुई, वकील फूकार उप. पत्रवादी ने वकील सं. 1 के वादिकात में जेठे पेश किए जिसमें 2 जजों के साथ पेश होकर प्रजावती होकर प्रजावती को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">Sud 15.3.18</p>	<p>D. N. Jethani 5655-56 22.3.18</p>
<p>5-4-18 प्रजावती पेश हुई। वकील फूकार उप. वकील वकील ने वकील सं. 1 के वादिकात में जेठे पेश किए जिसमें 2 जजों के साथ पेश होकर प्रजावती को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">Sud 5.4.18</p>	
<p>30-4-18 प्रजावती पेश हुई, प्रजावती आगामी कार्यवाही हेतु आपके द्वारे कैम्प स्थल जंटावाडा (14.5.18) में पेश हो।</p>	
<p>14-5-18 प्रजावती आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारे कैम्प कोर्ट जंटावाडा में पेश हुई। प्रतिवादी गण उपस्थित जिनकी पहचान संरपंच ग्राम पंचायत जंटावाडा ने की है। प्रतिवादी को वाद पत्र पर धुना गया। कैम्प कोर्ट जंटावाडा में तहसीलदार वस्ती से रिमांड का अवलोकन किया एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत मूल पंतावेज का अवलोकन किया।</p>	<p>राजस्थान किल 12/1/2018 राजस्थान ली 11/11/18 श्री 11/11/18 श्री 11/11/18 श्री 11/11/18 श्री 11/11/18</p>

नाम न्यायालय

केस संख्या

आज्ञा विस्तृत रूप से

123
सहायक
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर

पत्रावली का अवलोकन एवं प्रतिवादी को वाद पत्र पर सुनने एवं तस्वीर बस्सी के पुराने व नये रिकार्ड का अवलोकन करने तथा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेज (विक्रय पत्र) का अवलोकन करने तथा लोक अदालत हेतु गठित कमेटी के निर्णयानुसार वादग्रह आराजी ख. नं. 192, 193/1, 194/1 से 194/8 लगा. 194/11, 194/11/2 लगा. 194/11/3 कुल कितना 34 कुल रकबा 25 बीघा 9 बिघा स्थित ग्राम जटवाडा तहसील बस्सी जिला जयपुर के सम्बन्ध में उक्त वादग्रह भूमे को वादी के पूर्वजों द्वारा लेचान किया जा चुका है। वर्तमान में वादी का उक्त वादग्रह भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी गवा द्वारा वादग्रह भूमि के सम्बन्ध में चाही गई रिलीफ दिया जाना उचित नहीं समझते हैं। उक्त वादग्रह भूमि के सम्बन्ध में वादी को वाद विधि की मंशा के अनुकूल न होने के कारण खारिज किया जाता है। इसी पर्या जारी है। पत्रावली नम्बर से शुरू है।

आज दिनांक 14.5.18 को यह निर्णय न्याय आपके द्वार केम कोर्ट जटवाडा में मजमें आम में सुनाया गया

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर

डिकी मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.
दीपाली भगोतिया सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. हरिनारायण पुत्र झूथा(फौत)		1. कल्याण पुत्र जुग्गा
1/1 हनुमान पुत्र हरिनारायण		2. कालू
1/2 ग्यारसी बेवा हरिनारायण		3. हरसहाय
2. जगदीश		4. गंगाराम
3. बाबूलाल पुत्रान रामनारायण		5. रामकरण पुत्रान रामनारायण
4. सूरजमल पुत्र नन्दा		6. गोरधन पुत्र गोविन्दा
समस्त जाति मीना निवासी		7. प्रभुदयाल
गोठडा तह. बस्सी।		8. बसंतीलाल
		9. सुवालाल
		10. सीताराम पुत्रान रामसुखा
		11. मूली बेवा रामसुखा
		12. रामजीलाल पुत्र रामनाथ
		13. रामलाल पुत्र रामनाथ
		14. श्योनाथ पुत्र गंगाराम
		15. ज्याना बेवा शंकरलाल
		16. शम्भूदयाल
		17. कैलाश
		18. ओमप्रकाश पुत्रान काना
		19. लाली बेवा गणेश
		20. भगवान सहाय पुत्र ग्यारसीलाल
		समस्त जाति माली निवासी ग्राम
		जटवाडा नये मालियों की ढाणी, तह.
		बस्सी।
		21. उपपंजीयक बस्सी।
		22. राज. सरकार जरिये तहसीलदार
		बस्सी।
		23. ग्राम पंचायत जटवाडा जरिये सरपंच
		तह. बस्सी।

दावा घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 381/08

निर्णय दिनांक 14.05.2018

वादग्रस्त आराजी ख.नं. 192, 193/1, 194/1 से 194/5, 194/8 लगा 194/11, 194/1/12 लगा 194/1/34 कुल कित्ता 34 कुल रकबा 25 बीघा 9 बिस्वा स्थित ग्राम जटवाडा तह. बस्सी जिला जयपुर के संबंध में उक्त वाद ग्रस्त भूमि को वादी के पूर्वजों द्वारा बेचान किया जा चुका है। वर्तमान में वादी का उक्त वादग्रस्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में चाही गई रिलीफ दिया जाना उचित नहीं समझते है। अतः वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादी का वाद विधि की मंशा के अनुकूल न होने के कारण खारिज किया ^{2nd}

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर

जाता है।.....निजी.....मुबलिक.....बाबत.....खर्चा इस
मुकदमें का मय सूद वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक.....
..को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 14.05.18 को जारी किया गया।

मोहर



दस्तख्त.....*And*
ओहदा.....*14.5.18*

मुददइ	रुपये	पैसे	मुददायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी		
दावा			दावा		
स्टाम्प			स्टाम्प		
बकालतनामा			बकालतनामा		
स्टाम्प वहत			स्टाम्प वहत		
सबूत			सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस			फीस		
कमिश्नर			कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी